कार्यालय कलेक्टर, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

।। आदेश ।।

क्र./ 4310 /स्था./अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती/2023–24/ बेमेतरा, दिनांक 22-09-23

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश कमांक एफ 23–08 /2020 /20–दो/1891/अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 16.05.2023 के द्वारा दिये गये पद के अनुसार स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) शासकीय उ.मा.वि.हसदा वि.ख.बेरला जिला बेमेतरा में निम्नांकित पद का संविदा नियुक्ति निम्नांकित शर्तो पर की जाती है। चयनित अभ्यर्थी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय हसदा वि.ख. बेरला में **दिनांक 04-10-2023 तक कार्यभार ग्रहण** कर सकते है निर्धारित तिथि के बाद आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करते समय मूल दस्तावेजो की छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।

क्र.	पद का नाम एवं विषय	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	आरक्षण	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	पूर्ण पता
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक शिक्षक कला (अंग्रेजी माध्यम)	दामिनी वर्मा	श्री रोहित कुमार	अनारक्षित	25300	नदंनी 22 सड़क 34 दुर्ग (छ.ग.)
2	शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	देवराज बघेल	श्री चुरामन दास	अनारक्षित	35400	ग्राम बोरगहन पोस्ट अचौद तह गुण्डरदेही जिला बालोद (छ.ग.)
3	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	अलीशा	श्री लखन सिंह	अनारक्षित	25300	प्लांट नं. 40 नयर संजीवनी मेडिकोस एन टी पी सी जमनीपाली , कोरबा (छ.ग.)

शर्ते –

1/ संविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन रहेंगे।

2/ पद पूर्णतः अस्थायी होंगे। शासन के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पद से पृथक किया जा सकेगा।

3/ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नही दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महिनों के लिए आनुपातिक आधार पर दिए जावेगें।

4/ किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नही करेगा ना ही उस पद के विरूद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।

5/ अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक माह का नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

6/ संविदा पद से त्याग पत्र 3 माह पूर्व की सूचना या 3 माह के वेतन चालान के माध्यम से जमा करने पर ही त्याग पत्र स्वीकृत किया जावेगा।

7/ विज्ञापन एवं शर्ते के अनुरूप समस्त दस्तावेज असत्य पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकता है।

8/ चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य किये जायेंगे।

9/ भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

10/ आपका कार्य व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम प्रदर्शन के आधार पर भी आपकों पदच्युक्त किया जा सकेगा।

11/संविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति पदो पर प्रथम बार तीन वर्ष कालावधि के लिए की जाती है तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात् संविदा नियुक्ति की कालावधि एक बार में अधिकतम तीन वर्ष के लिए बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति का नवीनीकरण का निर्णय ले सकेंगे।

12/संविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के उपनियम (2) के अन्तर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता इत्यादि नही दिया जावेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नही होगी।

कलेक्टर
जिला बेमेतरा (छ.ग.)

पृ.क्र./ 5311 /स्था./अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती/2023–24/ बेमेतरा, दिनांक 22-09-23

प्रतिलिपि–

1/ सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।

2/ संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।

3/ संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग को सादर सूचनार्थ।

4/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बेमेतरा को सूचनार्थ।

5/ जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा को सूचनार्थ।

6/ प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हसदा वि.ख. बेरला जिला बेमेतरा को सूचनार्थ।

7/ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बेरला जिला बेमेतरा को सूचनार्थ।

8/ समस्त चयनित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी .... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

कलेक्टर
जिला बेमेतरा (छ.ग.)